



# Report







बार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2007-08

# निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एम बी एन राव अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Shri M. B. N. Rao Chairman & Managing Director



श्री डी एल रावल कार्यपालक निदेशक Shri D. L. Rawal Executive Director



श्री जी एस वेदी कार्यपालक निदेशक Shri G. S. Vedi Executive Director



श्री अमिताभ वर्मा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक Shri Amitabh Verma

Director representing Government of India



भारतीय <mark>रि</mark>जर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक Smt Vani J. Sharma Director representing Reserve Bank of India

श्रीमती वाणी जे शर्मा



श्री एस के कोहली अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri S. K. Kohli Officer Employee Director



श्री अजय माथुर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Ajay Mathur Part-time Non-Official Director



श्री एस शब्बीर पाशा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri S. Shabbeer Pasha
Part-time Non-Official Director



श्री पंकज गोपालजी ठक्कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Pankaj Gopalji Thakker
Part-time Non-Official Director



श्री सुनील गुप्ता अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Sunil Gupta Part-time Non-Official Director



**डॉ. योगेन्द्र पती त्रिपाठी** अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Dr. Yogendra Pati Tripathi

Part-time Non-Official Director





श्री पी वी मय्या शेयरधारक निदेशक Shri P. V. Maiya Shareholder Director



श्री बी बी टंडन शेयरधारक निदेशक Shri B. B. Tandon Shareholder Director



वाषिक रिपोर्ट 2007-08	Annual Report 2007-2008
विषयवस्तु	Contents
1. नोटिस2	1. NOTICE
2. प्रगति की एक झलक13	2. PROGRESS AT A GLANCE
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2007-200814	3. DIRECTORS' REPORT 2007-200814
4. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण15	4. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 15
5. आर्थिक परिवेश15	5. Economic Environment15
6. मौद्रिक व बैंकिंग विकास16	6. Monetary and Banking Developments
<ol> <li>'केनरा बैंक 2007-2008 में</li></ol>	7. CANARA BANK IN 2007-200819
·	8. Financial Performance
8. वित्तीय कार्यनिष्पादन19	9. Business Growth22
9. कारोबार वृद्धि	10. Treasury and International Operations
10. राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालन24	11. Other Services25
11. अन्य सेवाएं25	12. Asset Quality and Risk Management27
12. आस्ति गुणव <mark>त्ता</mark> एवं जोखिम प्रबंधन27	13. National Priorities32
13. राष्ट्रीय प्राथमिकताएं32	14. Corporate Social Responsibility36
14. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व36	15. Organisation and Support Services38
15. संगठन एवं सहायता सेवाएः	16. FINANCIAL SUPERMARKET
16. वित्तीय सुपरमार्केट44	17. Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures44
17. अनुषंगियां, प्रायोजित संस्थाएं और संयुक्त उद्यम 44	18. New Products / Services
18. नए उत्पाद सेवाएं48	19. Awards / Accolades
19. पुरस्कार / उपलब्धियां	20. Changes in the Board of Directors50
20. निदेशक मंडल में परिवर्तन50	21. Director's Responsibility Statement50
21 . निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य50	22. Acknowledgment51
22. आभार प्रदर्शन51	23. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
23. कार्पोरेट गवर्नन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट 52	ON CORPORATE GOVERNANCE52
24. कार्पेरिट गवर्नन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र71	24. AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE  GOVERNANCE71
25. केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण72	25. BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT  & CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK72
26. समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा	26. CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT &
नकद प्रवाह विवरण	LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT 153
27. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र179	27. ATTENDENCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
28. पॉक्सी फार्म	28. PROXY FORM182



### नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की छठी वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 18 जून 2008 को अपराह्न 4 बजे चौड़य्या मेमोरियल हॉल, जी डी पार्क एक्सटेंशन, वैयालीकावल, बेंगलूर - 560 003 में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है

- 1. " यथा 31 मार्च 2008 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना "।
- 2. वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश घोषित करना ।
- 3. निम्नांकित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि'' बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("आर बी आई "), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन तथा उन स्टॉक एक्स्वेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है , एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद " निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में , इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी

#### NOTICE

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Wednesday, the 18th June 2008 at 4.00 P.M. at Chowdaiah Memorial Hall, G D Park Extension, Vyalikaval, Bangalore -560 003, to transact the following business:

- 1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance
  Sheet of the Bank as at 31st March 2008, Profit & Loss
  account for the year ended 31st March 2008, the Report of
  the Board of Directors on the working and activities of
  the Bank for the period covered by the Accounts and the
  Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To declare dividend for the financial year 2007-08.
- 3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution:

**RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the** Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing . Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers. conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm



शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान संहित) प्रस्ताव के दस्तावेज /नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए ( भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्ती एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए ) एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी ") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई ") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिदेशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बड़ा या प्रीमीयम सहित, भारत में या विदेश में प्रत्येक रु. 10 के अंकित मृल्य के ईक्विटी /अधिमानी शेयर / संचयी/गैर-संचयी/प्रतिभूतियां उतनी ही संख्या में प्रस्तावित, जारी और आबंटित करें जो किसी भी हालत में रु.109 करोड़ ( एक सौ नौ करोड़ ) से ज्यादा न हो और समग्र रूप से रु. 1090 करोड़ ( रुपये एक हजार नब्बे करोड़ ) से अधिक न होते हो जो 410 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त इंक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.1500 करोड़ होते हों जो कि बैंकिंग कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण )अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक जो भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार जोडी जा सके क़ि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 51 % से कम धारित नहीं किया जाए।

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अितिरिक्त आबंटन के विकल्प सिंहत या रिहत सार्वजिनक इश्यू, साधिकार इश्यू, अिधमानी इश्यू और /या निजी प्लेसमेंट के जिरए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अिधनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक सुरक्षा) दिशानिर्देश 2000 ("सेबी डी

allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares , whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 109 Crores (One Hundred and Nine crores Only) and aggregating to not more than Rs. 1090 Crores. (Rupees One Thousand and Ninety Crores) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 410 crores amounts to Rs 1500 crores, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act ,1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt, shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Disclosure and



आई पी दिशानिर्देशः') एवं भारतीय रिजर्व बैंक , सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तो पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे ।

आगे संकल्प किया जाता है कि अर्ह संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) और गैर-संस्थागत बोली लगानेवालों की तुलना में मौजूदा खुदरा शेयरधारकों, खुदरा व्यक्तिगत बोली लगानेवालों और बैंक के कर्मचारियों को विभेदक निम्न् मूल्य पर अथवा बैंक द्वारा निर्णय लिये अनुसार ऐसे बट्टे पर ईक्विटी /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन करने का निदेशक मंडल को अधिकार होगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार , बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, सेबी डी आई पी दिशानिर्देशों के अध्याय XIII ए के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण या निर्गम ) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी ) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामृहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी " कहा जाएगा ) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमित , अनुमित और या/ मंजुरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन , सहमति , अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद " अपेक्षित अनुमोदन " कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी. प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि सेबी डी आई पी दिशानिदेशों के अध्याय XIII ए के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मुल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित सेबी डी आई पी के दिशानिर्देशों या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो बशर्ते कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों की किस्त को शामिल करते हुए मूल्य सेबी डी आई पी

Investor Protection) Guidelines, 2000 ("SEBI DIP Guidelines") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to allot the equity / preference shares/securities to Existing Retail Shareholders, Retail Individual Bidders and employees of the Bank at a differential lower price as compared to QIBs and non-institutional bidders or at such discount as decided by the Bank.

**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of Chapter ... XIIIA of the SEBI DIP Guidelines, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI) , Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Clause 2.2.2B(v) of the SEBI DIP Guidelines) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter XIII A of the SEBI DIP Guidelines, through a placement document and / or such other documents / writings/ circulars/ memoranda and in such manner and on such price,



दिशानिदेशों के अध्याय XIII-ए के प्रावधानों के अनुसार निर्णित मुल्य से कम न हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी ) (जैसा कि सेबी डी आई पी दिशानिर्देशों के खंड 2.2.2 बी (v) में परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो।

आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में. सेबी दिशानिर्देशों के अध्याय XIII ए के अनसरण में पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभृतियों का आबंटन होगा जो सेबी दिशानिर्देशों के अध्याय XIII ए के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभृतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 महीने के भीतर इस प्रकार की प्रतिभृतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार सेबी डी आई पी के दिशानिर्देशों के अध्याय XIII ए के अनुसार जहां बाद की तिथि पर प्रतिभृतियां ईिक्वटी शेयरों में परिवर्तनीय एवं विनिमय योग्य हो, वहां प्रतिभृतियों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से संगत तिथि 19.05.2008 होगी अर्थात् केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें ) विनियमावली 2000 के अनुसार प्रस्तावित निर्गम पर वि<mark>चार करने हेत</mark>् शेयर धारकों की आम बैठक की तिथि होती है, से तीस दिन पहले की होगी या जब बाद की तिथि पर इंक्विटी शेयरों के साथ परिवर्तनीय या विनिमय योग्य प्रतिभृतियों का धारक कथित शेयरों के लिए आवेदन करने का पात्र होता है, से तीस दिन पहले की होगी।

आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार व शक्ति होगी ।

आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों को नए ईक्विटी शेयर जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा ।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजुदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI DIP Guidelines or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the provisions of Chapter XIII-A of SEBI DIP Guidelines.

**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter XIII A of the SEBI Guidelines, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter XIII A of the SEBI Guidelines, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** where securities which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in terms of Chapter XIII A of the SEBI DIP Guidelines, as specified above, the relevant date for the purpose of pricing of the securities shall be 19.05.2008 i.e. the day which is thirty days prior to the date on which the general meeting of the shareholders is held in terms of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, to consider the proposed issue OR a day 30 days prior to the date on which the holder of the securities which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date becomes entitled to apply for the said shares.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board.

**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.



आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर /अधिमानी शेयर /प्रतिभृतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने हेत् जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभृतियां आबंटित की जानी है, प्रत्येक शृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक , उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन , संवर्धन संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड किसी भी लीड प्रबंधकों/बैनरों/हामीदारों/निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेन्सियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को पारिश्रमिक देने के लिए एतद्द्यारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक शुंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/ प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य, प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का. रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मोमले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more



एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान ने किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजों करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी. शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजों करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आश्राय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को , बिना कोई अतिरिक्त सहमित या अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा के, अपने विवेकाधिकार के तहत जैसा वह उचित समझे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने और सभी प्रश्नों और समस्याओं का निवारण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को , उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशों के द्वारा

ग्य की एन राव

स्थान : बेंगलूर

एम बी एन राव

दिनांक: 07.05.2008

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolutions, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things and to settle all questions and difficulties as it may, in its absolute discretion deem fit, without being required to seek any further consent or approval.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.

By Order of the Board of Directors

Place : Bangalore

Date: 07.05.2008

M B N RAO

Chairman & Managing Director



#### टिप्पणियां

#### 1. व्याख्यात्मक वक्तव्यः

प्रदत्त पूँजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

#### 2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख़ की समाप्ति से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 13 जून 2008 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

#### 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति , जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 13 जून 2008 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

#### 4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में बुधवार , 18 जून 2008 को अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी । शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें ।

#### उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है । शेयरधारकों /प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर " प्रतिनिधि " या, "प्राधिकृत

#### **Notes**

#### 1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item 3 of the Notice regarding Raising of paid up capital is annexed below.

#### 2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective, must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Friday, the 13th June 2008.

# 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Friday, the 13th June 2008.

#### 4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 3 p.m. on Wednesday, the 18th June 2008 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

#### 5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice.

Shareholders/Proxy Holders/Authorised
Representatives is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised